सच्चर और कुंडू कमेटी के बाद मुसलमानों की स्थिति: आंकड़े, सिफारिशें और एक नई जांच कमेटी की सख्त आवश्यकता

विचारक / लेखक: डॉ सैयद नासिर शाह

आज़ाद भारत के इतिहास में मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को मुख्यधारा की चर्चा में लाने का श्रेय 2006 की 'सच्चर कमेटी' की रिपोर्ट को जाता है। सच्चर रिपोर्ट ने यह साबित किया था कि विकास के कई पैमानों पर मुसलमानों की स्थिति दलितों (SC/ST) से भी बदतर है। इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार ने कई योजनाएं शुरू कीं।

इन योजनाओं का ज़मीन पर कितना असर हुआ और मुसलमानों की स्थिति में 7 सालों में कितना सुधार आया, यह जांचने के लिए 2013 में यूपीए (UPA) सरकार ने जेएनयू (JNU) के मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में एक 'पोस्ट-सच्चर इवैल्यूएशन कमेटी' का गठन किया। 2014 में इस कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की।

नीचे इस रिपोर्ट के अहम आंकड़े, कमेटी की ऐतिहासिक सिफारिशें, मौजूदा सरकार का नज़रिया और आज के दौर में एक नई जांच कमेटी की ज़रूरत पर एक मुकम्मल और तफ़सीली मज़मून (विस्तृत लेख) पेश है।

1. अमिताभ कुंडू कमेटी के अहम खुलासे और डेटा (Ground Realities)

कुंडू कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि सच्चर कमेटी के बाद कुछ सुधार ज़रूर हुए हैं, लेकिन कोई बड़ा या क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। शिक्षा और रोज़गार के मोर्चे पर मुसलमान अब भी काफी पीछे थे:

क. तालीम (Education) की भारी कमी:

* **स्कूलों का अभाव:** सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह था कि जिन गांवों या मोहल्लों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, वहां सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की भारी कमी थी। लगभग एक-तिहाई (1/3) मुस्लिम बहुल गांवों में कोई प्राइमरी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था।

* **ड्रॉपआउट रेट और निरक्षरता:** लगभग 11.2% ओबीसी (OBC) मुसलमान और 6.2% जनरल मुसलमान बच्चों ने कभी किसी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। गरीबी के कारण बच्चों को कम उम्र में काम पर लगना पड़ता था, जिससे मुसलमानों में स्कूल बीच में छोड़ने (Drop-out) की दर अन्य सभी समुदायों से ज़्यादा थी।

* **उच्च शिक्षा (Higher Education):** 17 से 29 साल के उम्र वर्ग में कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाले मुस्लिम युवाओं का प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) और हिंदू सवर्णों के मुकाबले काफी नीचे था।

ख. रोज़गार और अर्थव्यवस्था (Employment & Economy):

* **सरकारी और फॉर्मल नौकरियां:** सरकारी नौकरियों, पुलिस, रेलवे और बड़ी प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी उनकी आबादी (लगभग 14%) के मुकाबले बेहद कम थी।

* **इनफॉर्मल सेक्टर (असंगठित क्षेत्र):** मुसलमानों का सबसे बड़ा हिस्सा 'सेल्फ-एंप्लॉयमेंट' (स्वरोज़गार) और इनफॉर्मल सेक्टर (दिहाड़ी मज़दूरी) में लगा हुआ था। इनमें कारीगर, बुनकर, छोटे मैकेनिक और अपनी छोटी दुकान चलाने वाले लोग सबसे ज़्यादा थे, जिनकी आमदनी सुरक्षित नहीं थी।

* **शहरी गरीबी:** शहरों में रहने वाले मुसलमानों का 'मासिक प्रति व्यक्ति खर्च' (Monthly Per Capita Expenditure) बाकी सभी बड़े धार्मिक समुदायों के मुकाबले सबसे कम था, जो उनकी गहरी आर्थिक तंगी को दर्शाता था।

ग. बैंकिंग और कर्ज़ (Banking Discrimination):

* रिज़र्व बैंक (RBI) की गाइडलाइंस के बावजूद, 'प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग' (PSL) में अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले लोन का टारगेट पूरा नहीं हो रहा था।

* आबादी के हिसाब से मुसलमानों को बैंकिंग सिस्टम से लगभग 26% कम लोन मिल रहा था। बैंक अक्सर मुसलमान बहुल इलाकों को "रेड ज़ोन" (जहां से लोन वापस आने की उम्मीद कम हो) मानकर वहां अपनी ब्रांचेस और एटीएम (ATMs) खोलने से कतराते थे।

घ. बुनियादी ढांचे का अभाव (Civic Amenities):

* मुसलमान आबादी वाले लगभग 40% बड़े गांवों में कोई मेडिकल फैसिलिटी (डिस्पेंसरी या अस्पताल) नहीं थी। पीने का साफ़ पानी, पक्की सड़कें, और साफ़-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं मुस्लिम मोहल्लों (Ghettos) में काफी खराब थीं।

2. हालात सुधारने के लिए कुंडू कमेटी की प्रमुख सिफारिशें

इन गंभीर हालात को देखते हुए कुंडू कमेटी ने सरकार को कुछ बहुत ही ठोस और ऐतिहासिक सुझाव दिए थे, ताकि मुसलमानों को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके:

* **भेदभाव विरोधी कानून और समान अवसर आयोग:** रोज़गार, शिक्षा, और ख़ासकर मकान या फ्लैट किराए पर लेने में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए एक सख़्त 'एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कानून' (Anti-Discrimination Law) बनाया जाए। इसके तहत मामलों की सुनवाई के लिए एक 'समान अवसर आयोग' (Equal Opportunity Commission) का गठन हो।

* **डायवर्सिटी इंडेक्स (Diversity Index):** सभी सरकारी महकमों, यूनिवर्सिटीज़ और बड़ी प्राइवेट कंपनियों में यह सूचकांक लागू किया जाए ताकि पता चले कि वहां अल्पसंख्यकों, दलितों और महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी है। अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट दी जाए।

* **दलित मुसलमानों को SC का दर्ज़ा:** यह सबसे बड़ी मांग थी कि 1950 के राष्ट्रपति आदेश में संशोधन किया जाए और हिंदू, सिख व बौद्ध धर्म की तरह ही, मुसलमानों और ईसाइयों में मौजूद पिछड़ी/दलित जातियों (अजलाफ़ और अरज़ाल) को भी 'अनुसूचित जाति' (SC) का दर्ज़ा और रिज़र्वेशन मिले।

* **स्कॉलरशिप और शिक्षा का विस्तार:** प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट बढ़ाया जाए। मुस्लिम बहुल इलाकों में केंद्रीय विद्यालय (KVs), नवोदय विद्यालय और लड़कियों के स्कूल प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएं।

* **बैंकिंग सुधार:** बैंकों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि वे मुस्लिम बहुल इलाकों को "रेड ज़ोन" मानना बंद करें और वहां नई शाखाएं खोलें ताकि कारीगरों और छोटे व्यापारियों को आसानी से कर्ज़ मिल सके।

3. सरकार आज ऐसी कमेटियां क्यों नहीं बना रही है?

2014 के बाद केंद्र में सरकार बदलने के साथ ही नीतियों (Policies) और नज़रिए में एक बड़ा बदलाव आया। आज सरकार किसी एक विशेष समुदाय के लिए अलग से कमेटी बनाने से बचती है, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

* **'सबका साथ, सबका विकास' की नीति:** मौजूदा सरकार का मानना है कि विकास की योजनाओं का लाभ धर्म या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि ज़रूरत के आधार पर सबको मिलना चाहिए। सरकार का तर्क है कि किसी एक धर्म के लिए विशेष कमेटी बनाना 'तुष्टिकरण की राजनीति' (Appeasement politics) का हिस्सा है।

* **अम्ब्रेला स्कीम्स (Umbrella Schemes) पर ज़ोर:** सरकार ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप (MANF) जैसी माइनॉरिटी-स्पेसिफिक स्कीम्स को बंद या सीमित कर दिया है। इसके बजाय, सरकार पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा लोन और आयुष्मान भारत जैसी "अम्ब्रेला स्कीम्स" पर ज़ोर देती है, जिनका लाभ मुसलमानों सहित सभी को मिलता है।

* **जनरल डेटा पर निर्भरता:** सरकार का मानना है कि अलग से मुसलमानों का डेटा जुटाने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) के जनरल डेटा से पूरे देश की स्थिति का अंदाज़ा लग जाता है।

4. आज एक नई विस्तृत कमेटी बनाने की सख्त ज़रूरत क्यों है?

भले ही सरकार का नज़रिया बदल गया हो, लेकिन समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि आज सच्चर या कुंडू जैसी एक नई विस्तृत जांच कमेटी की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। इसके अहम कारण इस प्रकार हैं:

* **डेटा का ब्लैकहोल (10-15 सालों से कोई सटीक आंकड़ा नहीं):** सच्चर (2006) और कुंडू (2014) रिपोर्ट के बाद कोई ऐसा आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं आया है जो बता सके कि पिछले 10-15 सालों में मुसलमानों की हालत में क्या बदलाव आया। क्या वे मुख्यधारा से जुड़े हैं या और पिछड़ गए हैं? बिना सटीक डेटा के कोई भी प्रभावी पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती।

* **कोविड-19 और आर्थिक झटकों का असर:** कुंडू रिपोर्ट ने साफ़ किया था कि मुसलमान ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर (दिहाड़ी मज़दूरी, छोटे कारोबार) में हैं। नोटबंदी, जीएसटी और ख़ासकर कोविड-19 लॉकडाउन ने इनफॉर्मल सेक्टर की कमर तोड़ दी। इससे मुस्लिम मज़दूरों, दुकानदारों और कारीगरों की आर्थिक स्थिति कितनी तबाह हुई, इसकी एक ज़मीनी जांच (Ground-level study) होना बहुत ज़रूरी है।

* **शिक्षा में बढ़ता पिछड़ापन:** ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) 2020-21 की रिपोर्ट बताती है कि उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों (ख़ासकर लड़कियों) का एनरोलमेंट रेट अन्य

समुदायों के मुकाबले गिरा है। MANF जैसी स्कॉलरशिप बंद होने का ज़मीन पर क्या असर हुआ, यह जानने के लिए नई स्टडी चाहिए।

* **जनरल स्कीम्स की हक़ीक़त परखना:** सरकार का दावा है कि 'सबका विकास' हो रहा है, लेकिन क्या सच में बैंकों ने मुस्लिम इलाकों को "रेड ज़ोन" मानना छोड़ दिया है? क्या मुद्रा लोन या पीएम आवास योजना का लाभ मुस्लिम मोहल्लों में बिना किसी भेदभाव के पहुंच रहा है? एक नई कमेटी ही इस दावे की हक़ीक़त सामने ला सकती है।

* **सामाजिक और सियासी हालात (Social Polarization):** पिछले कुछ सालों में हेट स्पीच (Hate speech) और सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ा है। इस तनाव भरे माहौल का किसी भी समुदाय के व्यापार, उनके रोज़गार पाने के मौकों (Job discrimination), और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना नकारात्मक असर पड़ा है, इसे मापना वक़्त की मांग है।

निष्कर्ष (Conclusion)

मुसलमान भारत की आबादी का लगभग 14-15% हिस्सा (तकरीबन 20 करोड़ लोग) हैं। अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र (Developed Nation) या 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना है, तो देश की इतनी बड़ी आबादी को अशिक्षित, गरीब या आर्थिक रूप से कमज़ोर रखकर यह लक्ष्य कभी हासिल नहीं किया जा सकता।

सच्चर और कुंडू रिपोर्ट्स ने सिर्फ मुसलमानों की बीमारियां नहीं बताई थीं, बल्कि इलाज के तरीके भी सुझाए थे। आज की बदलती हुई दुनिया, नई तकनीक, आर्थिक उथल-पुथल और मौजूदा राजनीतिक माहौल के बीच मुसलमानों की स्थिति का एक नया, निष्पक्ष और विस्तृत मूल्यांकन (Fresh Evaluation) होना ही चाहिए। सियासत के शोर में ज़मीनी हक़ीक़त छुपनी नहीं चाहिए, क्योंकि सही डेटा ही सही विकास का रास्ता तय कर सकता है।